अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID_ dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/वृक्षारोपण (जलापूर्ति)/2021/107811-8057 दिनांकः 16/06/2021

1. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।

2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–मानसून सीजन 2021 के दौरान सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु।
प्रसंगः–इस कार्यालय के पूर्व समसंख्यक पत्रांक 106166–379 दिनांक 11.06.2021 की निरन्तरता में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि मानसून सीजन 2021 के दौरान राज्य के समस्त शहरों में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 150वीं जयन्ती समारोह वर्ष के अन्तर्गत इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में 21 जून से सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आरम्भ किया जाना भी अपेक्षित है। अतः समस्त नगरीय निकायों द्वारा मानसून पूर्व वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन संबंधित क्षेत्र में किया जायेगा।

वृक्षारोपण कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं कियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. गांधी जी की 150वीं जयन्ती समारोह के अन्तर्गत आयोजित होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम में गांधी वाटिका की स्थापना की जानी है। प्रत्येक वाटिका में कम से कम 150 पेड़ लगाने हेतु पौधारोपण कार्यक्रम किया जायें। क्षेत्र की उपलब्धता के अनुसार पेड़ों की संख्या बढाई जा सकती है।

2. वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रत्येक मार्ग के किनारे या सड़को के डिवाईडर के बीच में, खाली भूखण्डों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चिन्हित वृक्ष कुंज साईटों तथा वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त अन्य जगह में वृक्षारोपण किया जायेगा।

3. वृक्षारोपण के लिये लम्बे (5 से 10 फुट) व स्वस्थ पौधों की उपयुक्त प्रजातियों के पेड पौधे लगाये जायेगे।

4. राजस्थान धार्मिक एवं पवित्र वृक्षो के लिये जाना जाता है, जिनमें से अधिकतम वनीय क्षेत्रों में पाये जाते है। ये पेड़ क्षेत्र की जैव विविधता एवं पर्यावरण को अनुकूल बनाये रखते है। शहरी क्षेत्रों में वृक्ष कुंज एवं शहरी वनीकरण स्थलों की रक्षा हेतु पारम्परिक–पारिस्थितिक का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों एवं जनसमूहों, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, सरकारी संस्थाओं को जागरूक किया जावें एवं इन्हें वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जावें।

5. नगरीय निकाय अपने क्षेत्रों में शहरी सड़कों के किनारे पेड़ों की एक ही प्रजाति के या दो–तीन प्रजातियों के वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। इससे समान प्रजाति के वृक्षों जैसे ; अमलतास, गुलमोहर, जकरन्दा, कचनार, बकेन/नीम, शीशम व अन्य वृक्ष आदि के वृक्ष कुंज विकसित होंगे।

6. जनप्रतिनिधि वृक्षारोपण कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। यह महत्वपूर्ण है कि जनप्रतिनिधि स्थानीय लोगो को वृक्षारोपण एवं वृक्ष संरक्षण के लिये प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्रदान करें जिसके लिये जनप्रतिनिधियो की सलाह एवं सहयोग प्राप्त किया जावें। प्रत्येक वृक्षारोपण कार्यक्रम स्थल पर व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जाये।माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय महापौर/सभापति/अध्यक्ष, पार्षद, अन्य जनप्रतिनिधि/प्रभावशील/प्रतिष्ठित लोगों एवं स्थानीय लोगों को वृक्षारोपण समारोह में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाये।

7. पर्यावरण के लिये लोगो में जागरूकता बढ़ाने के लिये विभिन्न प्रचार प्रसार से संबंधी गतिविधियाँ जैसे स्कूलों के बच्चों की रैलियां आयोजित करना, पम्पलेट एवं पोस्टर वितरित करना तथा समस्त नगरीय निकायों में प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।

8. समस्त जिला कलक्टर्स अपने अपने जिलों में सरकारी संस्थानों, आमजन, वनकर्मी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कृषिकर्मी, अन्य सरकारी पदाधिकारियों एवं गैर सरकारी संस्थानो की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगे।

9. वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सभी आमंत्रित प्रतिभागी वन एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिये शपथ ग्रहण करेगे। शपथ ग्रहण का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है।

10. वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान लगाये जाने वाले सभी पौधे वन विभाग के आदेश कमांक प.9(5)वन/2016 दिनांक 16.06.2016 के अनुसार वन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान होने वाले अन्य सभी खर्चो को संबंधित नगरीय निकाय द्वारा स्वयं की निधि से उनको प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के अनुसार वहन किया जायेगा।

11. समस्त नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि वृक्षारोपण कार्यक्रम से पूर्व आवश्यक संसाधनों यथा पौधें, ट्री–गार्ड, पानी एवं खाद आदि की व्यवस्था कर ली गई है।

12. समस्त नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, जिले के प्रभारी मंत्री/सचिव एवं जिला कलक्टर से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावित गतिविधियों एवं कार्यो की मीडिया में व्यापक प्रचार प्रसार की उचित एवं प्रभावी व्यवस्था हो गई है।

13. इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता को जोडते हुए, उनके जन्म दिन एवं वैवाहिक वर्षगाठ के अवसर पर एवं अपनो की स्मृति में पौधारोपण करवाया जायें। प्रत्येक पेड़ को गोद दिया जाकर संबंधित व्यक्ति को भी उसके समुचित रखरखाव एवं विकास की जिम्मेदारी दी जा सकती है, परन्तु समग्र रूप से ज़िम्मेदारी संबंधित निकाय की रहेगी।

14. उपरोक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये प्रत्येक वृक्ष के जीवित रहने के लिये यह सुनिश्चित किया जावें कि वृक्षों के लिये खाद, पानी एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो गई है।

15. मानसून सीजन 2021 के दौरान आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में विभिन्न अभियानों जैसे बा–बापू वृक्षारोपण अभियान, जल शक्ति अभियान इत्यादि के अन्तर्गत लगाये गये पौधों को सम्मिलित करते हुये निकायवार पौधारोपण का कुल लक्ष्य निर्धारित कर इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्नः–
1. निकायवार पौधारोपण का कुल लक्ष्य।
2. शपथ–पत्र।
3. वन विभाग के आदेश कमांक दिनांक 16.06.2016 ।

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

कमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/वृक्षारोपण (जलापूर्ति)/2021/108058-8109 दिनांकः 16/06/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. माननीय प्रभारी मंत्री (समस्त जिले)।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज0, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन एवं पर्यावरण विभाग से निवेदन है कि अपने विभाग के संबंधित अधिकारियों को उक्त वृक्षारोपण अभियान में सहयोग प्रदान करने एवं आवश्यक तैयारी करने तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान लगाये जाने वाले सभी पौधे वन विभाग के आदेश कमांक प.9(5)वन/2016 दिनांक 16.06.2016 के अनुसार वन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देशित कर
10. राज्य समन्वयक, शान्ति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ राज0, जयपुर।
11. क्षेत्रीय उपनिदेशक (समस्त) स्वायत्त शासन विभाग।
12. मुख्य अभियंता, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग।
13. उपनिदेशक (जनसंपर्क), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग।
14. प्रोग्रामर आईटी प्रकोष्ठ, निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. सुरक्षित पत्रावली।

16/6/21

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

मानसून सीजन 2021 के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत निकायवार पौधारोपण का लक्ष्य

क्र. सं.	निकाय का नाम	पौधों की संख्या (प्रति नगर निकाय)	कुल पौधों की संख्या
1.	नगर निगम, जयपुर (हेरिटेज)	30,000	30,000
	नगर निगम, जयपुर (ग्रेटर)	50,000	50,000
2.	नगर निगम, कोटा (उत्तर)	30,000	30,000
	नगर निगम, कोटा (दक्षिण)	30,000	30,000
3.	नगर निगम, जोधपुर (उत्तर)	30,000	30,000
	नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)	30,000	30,000
4.	शेष नगर निगम (4)	30,000	1,20,000
5.	समस्त नगर परिषदें (34)	5,000	1,70,000
6.	समस्त नगर पालिकाऐं (169)	2,500	4,22,500
कुल योग			**9,12,500**

शपथ प्रारूप

राजस्थान मेरा प्रदेश है। इसकी जल, मृदा एवं वृक्ष संपदा हमारी धरोहर है। मैं सत्यनिष्ठा के साथ ईश्वर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता/करती हूं कि मैं मेरे द्वारा रोपित पौधों एवं राज्य की जल संरक्षण संरचना एवं मृदारूपी धरोहर की, एक सजग प्रहरी के रूप में, सदैव रक्षा करूंगा/करूंगी, उनकी सुरक्षा एवं उनके संवर्धन के लिए मन, वाणी एवं कर्म से प्रयत्नशील रहूंगा/रहूंगी।

16-JUN-2016 15:46 SECY1.FOREST 1412227762 P.01

परिशिष्ट-3

राजस्थान सरकार
वन विभाग

+PCCF (D)
16/6

क्रमांक प.9(5)वन/2016

जयपुर, दिनांक : 16-06-2016

आदेश

PS/PCCF/679
16.6.16

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.15(20)वन/94 दिनांक 23.10.2012 के क्रम संख्या 4 पर अंकित शर्त अनुसार राजकीय विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, भारतीय स्कॉउट एवं गाईड, एन.सी.सी. एवं स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों को एक रूपये प्रति पौधे की दर से अधिकतम 1000 पौधे दिये जाने का प्रावधान है। उक्त शर्त में आंशिक शिथिलता प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा अभियान से सम्बद्ध विभागों को पौधे उपलब्ध कराये जाने की 1000 पौधों की उक्त अधिकतम सीमा से अग्रिम आदेशों तक छूट प्रदान की जाती है।

Sd/-
(योगेन्द्र कुमार दक)
शासन सचिव

Dy.C.F.(?)
to circulate
Dy.C.F.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज/जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग/कृषि/उद्यानिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग (महानरेगा), राजस्थान जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. प्रमुख विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि आप अपने स्तर से समस्त वनाधिकारियों को प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. संभागीय आयुक्त, अजमेर/भरतपुर/जयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/ उदयपुर।
9. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर.....................
11. विशिष्ठ सहायक, वनमंत्री, राजस्थान जयपुर।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
13. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान रिवर बेसिन एण्ड वाटर प्लानिंग ऑथोरटी, राजस्थान जयपुर।

731/PA/APCCF (Dev.)
16.6.2016

Sd/- 16/6/16
(कुमार स्वामी गुप्ता)
विशेषाधिकारी, वन

17/6

Sandeep
17/6/16

D:\office matter\9(5)16 hi lett.docx

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./ CE/DLB/SBM/गांधीजी 150वीं जयन्ती / 2021/106166-379 दिनांकः– 11/06/2021

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :– राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी के 150वीं जयन्ती समारोह एवं स्वतंत्रता–दिवस के वर्षगांठ के संयुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों एवं निकायों में 21 जून से वृक्षारोपण आरंभ किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राज0 के पत्रांक पं.2(2)नविवि / 2012 पार्ट दिनांक 10.06.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की 150वीं जयन्ती समारोह वर्ष के अन्तर्गत इस वर्ष स्वतत्रंता दिवस की 75वीं वर्षगाठ के अवसर पर संयुक्त कार्यकम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में 21 जून से सघन वृक्षारोपण आरम्भ किया जाना अपेक्षित है, जिसके लिये नगरीय विकास विभाग द्वारा दिनांक 10.06.2021 को निर्देश जारी किये है। (प्रति संलग्न) विभागीय क्रमांक 105144–356 दिनांक 10.06.2021 द्वारा नगरीय निकायो को निर्देश दिये गये है, जिसकी निरन्तरता में बा–बापू वृक्षारोपण अभियान कार्यकम में नगरीय निकाय, नगर विकास न्यास एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा यह अभियान चलाया जाना अपेक्षित है।

इसके अन्तर्गत नगरीय निकायो द्वारा गांधी वाटिका की स्थापना की जानी है। प्रत्येक वाटिका में कम से कम 150 पौधे (क्षेत्र की उपलब्धता के अनुसार संख्या बढाई जा सकेगी) पौधारोपण कार्यकम किया जाये, जिसमें जनप्रतिनिधियों एवं आम–जनता को जोड़ते हुए उनके जन्मदिन एवं वैवाहिक वर्षगाठ के अवसर एवं अपनो की स्मृति में पौधारोपण करवाया जावें। प्रत्येक पौधे को गोद दिया जाकर संबंधित व्यक्ति को भी उसके समुचित रखरखाव विकास होने की जिम्मेदारी दी जावें परन्तु समग्र रूप से जिम्मेदारी संबंधित निकाय की रहेगी। शहरी क्षेत्र में प्रत्येक मार्ग के किनारे या सड़को के डिवाडर के बीच में एवं खाली भूखण्डों, सार्वजनिक स्थलों में भी सघन वृक्षारोपण कार्यकम आयोजित किया जाकर प्रत्येक वृक्ष की खाद, पानी एवं सुरक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जावें जिससे बाद में अधिकाधिक वृक्ष जीवित रह सके।

इस संबंध में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति एवं उपखण्ड अधिकारी के अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक 14 / 15 जून को आयोजित की जा कर उक्त कार्यकम के तहत् रूप रेखा निर्धारित कर इस कार्यकम को सफल बनाने की कार्यवाही की जावे। वर्तमान में कोविड–19 महामारी के परिपेक्ष्य में भरपूर ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने एवं पर्यावरण को शुद्ध करने में भी उक्त वृक्षारोपण कार्यकम से एक नई दिशा प्राप्त होगी।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर निदेशालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./ CE/DLB/SBM/गांधीजी 150वीं जयन्ती / 2021/106380-395 दिनांकः– 11/06/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव –प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राज0 जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
8. राज्य–समन्वयक, शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ, राज0 जयपुर।
9. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

Scanned with CamScanner